फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2025-26

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)**	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055-800-05-00-00 3055-सड़क परिवहन 800-अन्य व्यय 05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष में व्यय 42-अन्य व्यय	3000.00	120.00	117.15	50.00	2950.00
योग-	**3000.00**	**120.00**	**117.15**	**50.00**	**2950.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)** अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055-800-05-00-00 3055-सड़क परिवहन 800-अन्य व्यय 05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष में व्यय 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	100.00	217.15	117.15	50.00	150.00
योग -	**100.00**	**217.15**	**117.15**	**50.00**	**150.00**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-

सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 2766स0सु0/2025-08 स0सु0/2021, दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष 3055-सड़क परिवहन-800- अन्य व्यय-05 उ०प्र० सड़क सुरक्षा कोष से व्यय के अन्तर्गत मद संख्या 42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख के सापेक्ष रू0 120.00 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर कार्यरत 02 डी०बी०ए०, 04 लिपिक, 02 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के 12 माह के पारिश्रमिक भुगतान के लिये रू0 28.86 लाख, क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत 19 कंप्यूटर सहायक एवं 37 वाहन चालकों के 12 माह के लिए रू0 144.88 लाख, मुख्यालय पर कार्यरत 02 आशुलिपिक, 01 डी०बी०ए० ग्रेड-2, 04 लिपिक ग्रेड-2, 02 चतुर्थ श्रेणी ग्रेड-2 कार्मिक के 03 माह के पारिश्रमिक भुगतान के लिये रू0 5.96 लाख, प्रकोष्ठ में कार्यरत 01 अतिरिक्त डी०बी०ए० के 02 माह के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रू0 0.54 लाख, क्षेत्रीय कार्यालयों के 66 वाहन चालकों के 02 माह के पारिश्रमिक भुगतान के लिये रू0 24.12 लाख, एवं वर्ष 2024-25 में क्रय किये गये 70 इण्टरसेप्टर वाहनों के 70 वाहन चालकों के 01 माह के पारिश्रमिक भुगतान के लिये रू0 12.79 लाख अर्थात कुल रू0 217.15 (रू0 28.86+रू0 144.88+रू0 5. 96+रू0 0.54+रू0 24.12+रू0 12.79 लाख) लाख की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0 संख्या-बजट-1-281, दिनांक 05-02-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या-31/2026/238 /तीस-3-2026 दिनांक 05 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(के0पी0 सिंह)

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।